रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926
No. 196] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2004

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (चौथा) संशोधन विनियम, 2004

तूत्तुक्कुडि पत्तन का न्यासी बोर्ड, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 [भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 1 मार्च, 1979 को प्रकाशित सा.का.नि. 101(अ)] को आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ :**

(i) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) चौथा संशोधन विनियम, 2004 कहे जाएंगे।

(ii) ये विनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 में, विनियम 4 के उप-विनियम (i) के खंड (क) (ख) (ग) एवं (घ), निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात् :—

(क) श्रेणी I पद, अर्थात्, संशोधित वेतन संरचना में, पद, जिसका वेतनमान में अधिकतम वेतन रु.14,600/- से ज्यादा है।

(ख) श्रेणी II पद, अर्थात्, संशोधित वेतन संरचना में, पद, जिसका वेतनमान में, अधिकतम वेतन रु. 11975/- से ज्यादा है पर रु. 14600/- से ज्यादा नहीं है।

(ग) श्रेणी III पद, अर्थात्, संशोधित वेतन संरचना में, पद, जिसका वेतनमान में, अधिकतम वेतन रु. 7330/- से ज्यादा है पर रु. 11975/- से ज्यादा नहीं है।

(घ) श्रेणी IV पद, अर्थात्, संशोधित वेतन संरचना में, पद, जिसका वेतनमान में, अधिकतम वेतन रु. 7330/- है या नीचे है।

3. विनियम 7 के उप-विनियम (i) में, निम्नलिखित को खंड (क) के नीचे, खंड (कक) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(कक) जहाँ, पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में, राज्य की सुरक्षा के हित के विपरीत उसने हानिकर गतिविधियों में भाग लिया है।

4. विनियम 8 में, लघु दण्ड के नीचे, निम्नलिखित को (iii) (क) के रूप में निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(iii)(क) तीन वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए नहीं, के लिए समयमान वेतन में अवर प्रक्रम में परिणत करना लेकिन उनके पेंशन में बिना संचयी प्रभाव के और बिना प्रतिकूल प्रभाव के होना

(2) विनियम 8 के खंड (V) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(V) खंड (iii)(क) में व्यवस्था किए गए अनुसार सुरक्षित, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान वेतन में अवर प्रक्रम में परिणत, इस निदेश के साथ कि ऐसे परिणत में अवधि के दौरान क्या कर्मचारी वेतन की वेतनवृद्धि पा सकता है या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर क्या यह परिणत उनके वेतन की भविष्य वेतनवृद्धि में मुल्तवी प्रभाव पड़ेगा या नहीं

(3) विनियम 8 के खंड (IX) के बाद, प्रमुख दंड के नीचे निम्न उपबंध जोडा जाएगा अर्थात् :—

बशर्ते कि, हर मामले में जिसमें आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले अउचित परिसंपत्ति रखने के आरोप में या स्थापना के किसी भी कार्यालयीन कार्य को करने या न करने के संबध में प्रेरक हेतु या सम्मान के रूप में, वैध पारिश्रमिक के अलावा, किसी व्यक्ति से पारितोषिक स्वीकार करने के आरोप में, खंड (VIII) या खंड (IX) में निहित दंड लागू किया जाएगा;

बशर्ते आगे कि, किसी विशेष मामले में और विशेष कारणों से लिखित में रिकार्ड करने के लिए कोई भी अन्य दंड लागू किया जाए।

5. विनियम 10 के उप-विनियम (8) में, निम्न उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

बशर्ते कि कर्मचारी, किसी अन्य स्टेशन पर तैनात किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है, अगर, जांच प्राधिकारी, मामले की परिस्थिति को देखते हुए, लिखित में कारणों को रिकार्ड किये जाने हेतु अनुमति दे सकते हैं।

(2) विनियम 10 के उप-विनियम (8) के नीचे विद्यमान टिप्पणी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पणी :— (क) कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता नहीं ले सकता है जिसके पास पहले से ही तीन अनुशासनिक मामले लंबित हैं जिसमें उसे सहायता देना होगा।

(ख) कर्मचारी, अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की सहायता भी ले सकता है बशर्ते ऐसी शर्तों पर जिसकी ओर से बोर्ड द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6. विनियम 11 में उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी को, जांच के रिपोर्ट की प्रति अग्रप्रेषित करना है या किया जाना है अगर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गयी है या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी नहीं है, तो जांच प्राधिकारी के रिपोर्ट की प्रति के साथ असहमति के अनंतिम कारण अगर कोई, के साथ कर्मचारी पर आरोपित किसी मुद्दे पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्ष जिसके लिए कर्मचारी को, अगर वो चाहता है तो, अपने लिखित प्रतिवेदन को 15 दिन के अन्दर अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, इसका ध्यान किये बगैर कि रिपोर्ट कर्मचारी के पक्ष में है या नहीं।

उप-विनियम (2) के नीचे निम्न को (2क) के रूप में निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(2क) अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अगर कोई है, विचार करेंगे और उप-खंड (3) एवं (4) में निर्दिष्ट किये गए अनुसार मामले पर आगे कार्यवाही करने से पहले अपने निष्कर्षों को रिकार्ड करेंगे।

7. विनियम 16 में, उप-विनियम (2) के खंड (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ii) अगर उधार प्राधिकारी का यह मत है कि विनियम 8 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को कर्मचारी पर लागू किया जाना है, तो ऋण प्राधिकारी के निवर्तन पर उसकी सेवा प्रतिस्थापित होगी और जांच की कार्यवाही उनको संचारित करनी होगी और उसके बाद ऋण प्राधिकारी, अगर वह अनुशासनिक प्राधिकारी है, ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जिसे आवश्यक समझते हैं या अगर वे अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं हैं तो अनुशासनिक प्राधिकारी को मामला प्रस्तुत करना है जो मामले पर आदेश जारी करेंगे जिसे आवश्यक समझते हैं।

8. विनियम 23 में, विद्यमान उप विनियम (2) को रद्द किया जाएगा और निम्न को उप विनियम (2) एवं (3) के रूप में जोड़ा जाएगा :—

(2) अपील आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्राधिकारी को भेजी गयी अपील की प्रति उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके पास अपील होना है। उसमें वे सभी सामग्री वितरण एवं तर्क होंगे जिस पर अपीलकर्ता निर्भर है, और जिसमें कोई असम्माननीय या अनुचित भाषा नहीं होगी और अपने आप में वह संपूर्ण होगी।

(3) प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है को, अपील की प्रति प्राप्त होने पर, उसे अपनी टिप्पणी एवं संबंधित रिकार्डों के साथ, बिना परिहार्य देरी के अपील प्राधिकारी को और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश की प्रतीक्षा किये बगैर, भेजनी होगी।

9. तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 की अनुसूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड लागू करने प्राधिकृत प्राधिकारी, जो लागू करेंगे (विनियम 8 में खंड (i) से (ix) तक के संदर्भ में)		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	दंड	
1	2	3	4	5
(I) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा आवृत्त पद	अध्यक्ष से सलाह लेने के बाद केन्द्र सरकार	अध्यक्ष	लघु दंड (i) से (iv) तक	केन्द्र सरकार
		केन्द्र सरकार	सभी	केन्द्र सरकार
(II) श्रेणी I पद (महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा आवृत्त पदों के अलावा)	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	लघु दंड (i) से (iv) तक	अध्यक्ष
		अध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार
(III) श्रेणी II	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	लघु दंड (i) से (iv) तक	अध्यक्ष
		अध्यक्ष	सभी	केन्द्र सरकार
(IV) श्रेणी III	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष
(V) श्रेणी IV	विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष	सभी	उपाध्यक्ष

[फा. सं. पी. आर.-12016/25/2003-पी.ई.-I]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : भारत के राजपत्र, असाधारण सा.का.नि. 101(अ), दिनांक 1 मार्च 1979 को, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979, प्रकाशित और तदनुसार संशोधित किये गये थे :—

(1) सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1990

(2) सा.का.नि. 446(अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 1996

(3) सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 29 जून, 1998

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2004

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Employees' (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Tuticorin Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

TUTICORIN PORT TRUST

Tuticorin Port Employees (Classification, control and Appeal) (Fourth) Amendment Regulations, 2004

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Tuticorin hereby makes the following Regulations further to amend the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 (Published at G.S.R. 101(E) in the Gazette of India Extraordinary, dated the 1st March, 1979).

1. **Short title and commencement:**

(i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Fourth Amendment Regulations, 2004.

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. In Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979, clause (a), (b), (c) and (d) of sub-regulation (1) of Regulation 4 shall be substituted as follows, namely:—

(a) Class I posts, that is to say, posts carrying a pay in a scale of pay, the maximum of which is more than Rs. 14,600/- in the revised pay structure.

(b) Class II post, that is to say, posts carrying a pay in a scale of pay, the maximum of which is more than Rs. 11,975/- but not more than Rs. 14,600/- in the revised pay structure.

(c) Class III posts, that is to say, posts carrying a pay in a scale of pay, the maximum of which is more than Rs. 7,330/- but not more than Rs. 11,975/- in the revised pay structure.

(d) Class IV posts, that is to say, posts carrying a pay in a scale of pay, the maximum of which is Rs. 7,330/ or below in the revised pay structure.

3. In Sub-regulation (1) of Regulation 7, the following shall be added as clause (aa) below clause (a) namely:—

(aa) Where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or

4. In Regulation 8 below Minor penalties, the following shall be inserted as (iii) (a) namely:—

(iii)(a) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.

2. Clause (v) of Regulation 8 shall be substituted as follows, namely:—

(v) Save as provided for in Clause (iii)(a), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay.

(3) Below Major penalties after clause (ix) of Regulation 8 the following proviso shall be added, namely:-

Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or regard for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Clause (viii) or Clause (ix) shall be imposed;

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

5. In sub-regulation (8) of Regulation 10 of the following proviso shall be added namely:-

Provided that the employee may take the assistance of any other employee posted at any other station, if the Inquiring Authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing so permits;

(2) The existing Note below sub-regulation (8) of Regulation 10 shall be substituted as follows, namely:-

Note:- (a) The employee shall not take the assistance of any other employee who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The employee may also take the assistance of a retired employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time by general or special order in this behalf.

6. In Regulation 11, sub-regulation (2) shall be substituted as follows, namely:-

(2) The Disciplinary Authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a copy of the report of the Inquiring Authority toghether with its own tentative reasons, for disagreement, if any, with the findings of Inquiring Authority on any article of charge to the employee who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the employee.

Below sub-regulation (2) the following shall be inserted as (2A) namely:-

(2A) The Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, submitted by the employee and record its findings before proceeding further in the matter as specified in sub-regulations (3) and (4).

7. In Regulation 16 clause (ii) of sub-regulation (2) shall be substituted as follows namley:-

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the Disciplinary Authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or, if it is not the Disciplinary Authority, submit the case to the Disciplinary Authority which shall pass orders on the case as it may deem necessary: .

8. In Regulation 23 the existing sub-regulation (2) shall be deleted and the following shall be added as sub-regulations (2) and (3):-

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the Appellate Authority.

1336 GI/09

9. The Schedule to the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979, shall be substituted as follows namely:-

SCHEDULE

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties which it may impose (with reference to clauses (i) to (ix) in regulation 8		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(I) Posts covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963	Central Government after consultation with the Chairman.	Chairman	(i) to (iv) Minor Penalties	Central Government
		Central Government	All	Central Government
(II) Class I posts (other than those covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Major Port Trust Act, 1963	Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) Minor Penalities	Chairman
		Chairman	All	Central Government
(III) Class II	Chairman	Deputy Chairman	(i) to (iv) Minor Penalties	Chairman
		Chairman	All	Central Government
(IV) Class III	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman
(V) Class IV	Head of Department	Head of Department	All	Deputy Chairman

[F. No. PR-12016/25/2003-PE.-I]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

FOOTNOTE : The Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979, were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* GSR 101(E), dated the 1st March, 1979 and subsequently amended *vide* :—

(1) GSR 90(E), dated the 21st January, 1990

(2) GSR 466(E), dated the 10th October, 1996

(3) GSR 366(E), dated the 29th June, 1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.